न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– संजीव कुमार, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

राजस्व वाद संख्या :– 232/2023

1.शिवकुमार पुत्र महावीर प्रसाद लखोटिया जाति महेश्वरी निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
2. अमन तातेड़ पुत्र मुकेश तातेड़ जाति तातेड निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादीगण –

–बनाम–

1. अब्दुलमजीद पुत्र रहमत जाति मुसलमान निवासी डेलवाबस्ती लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
2. मंजूरा पुत्री जानुखां जाति मुसलमान निवासी डेलवांबस्ती लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर – प्रतिवादीगण –

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट.1955

दिनांक :– 29.01.2024

उपस्थित :–

1. श्री लालचन्द थोरी वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण 1 ता 2– एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहखातेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाते मे मौजा रोही उच्छरंगदेसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 4.3000 हैक्टेयर कुल तादादी 14.7800 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार मौजा रोही ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक घरेलू बंटवारा कर रख है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 5 तादादी 10.48 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 6.26 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा व खसरा नम्बर 6 तादादी 4.30 हैक्टेयर पूर्ण वादीण के कब्जे काश्त मे एवं खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 4.22 हैक्टेयर पासा दक्षिण दिशा की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जेकाश्त मे चल रही है। इसी प्रकार मौजा रोही लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर मे से 1.7600 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त मे व खसरा नम्बर 1086 की 6.1700 हैक्टेयर मे से 4.4100 हैक्टेयर भूमि पासा दक्षिण दिशा की वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। इसी अनुसार पहले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के भाई, बहनो का कब्जा एवं काश्त था पुराने कब्जे काश्त के अनुसार प्रतवादी संख्या 1 व 2 के भाई बहनो ने अपना हिस्सा विक्रय कर वादीगण को मौका पर कब्जा काश्त करवाया था उसी अनुसार वादीगण का वर्तमान मे फसल काश्त की हुई है।

वादगत खातेदारी भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी भूमि पर सही तरीके से काश्त नहीं कर सकते ना ही सराकरी लाभ प्राप्त कर सकते है जिससे राष्ट्रीय उत्पादन पर भी प्रभाव पडता है। इस कारण वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है जिससे सही तरीके से काश्त कर सके कानूनी पेचदीगियो से बच सकें। वादगत भूमि मे वादीगण का 5/7 हिस्सा पर निरन्तर कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे काश्त मे चली आ रही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि का कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने बाबत् कई बार कहा तो प्रतिवादीगण आज कल कहकर टालमटौल करते रहें। लेकिन दिनांक 01.08.2023 को प्रतिवादीगण ने वादगत भूमि का खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया है एवं प्रतिवादीगण ने कहा की हम तो बिना खाता विभाजन कराये भूमि को विक्रय करेगे ना ही आपको भूमि काश्त करने देंगे आपको उक्त भूमि से बेदखल करके भूमि खुखार व्यक्तियों को विक्रय कर देंगे। प्रतिवादीगण ने आपस मे दुर्भी संधि कर रखी है जो वादीगण को वादगत भूमि से महरूम रखना चाहते है ता वादीगण की खडी फसल को नष्ट करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकी के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण पैदा हुआ। यही दिनांक विनाय दावा विनाय मुखास्मत है। अतः वकील वादीगण द्वारा मौजा रोही उच्छरंगदेसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 4.3000 हैक्टेयर कुल तादादी 14.7800 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार मौजा रोही ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक घरेलू बंटवारा कर रख है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 5 तादादी 10.48 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 6.26 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा व खसरा नम्बर 6 तादादी 4.30 हैक्टेयर पूर्ण वादीण के कब्जे काश्त मे एवं खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 4.22 हैक्टेयर पासा दक्षिण दिशा की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जेकाश्त मे चल रही है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

इसी प्रकार मौजा रोही लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर मे से 1.7600 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त मे व खसरा नम्बर 1086 की 6.1700 हैक्टेयर मे से 4.4100 हैक्टेयर भूमि पासा दक्षिण दिशा की वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही भूमि मे वर्णित अनुसार आसे–पासे एवं कब्जेकाश्त के अनुसार विकल्प में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का खाता विभाजन करवाकर अलग–अलग लगान कायम करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते में दर्ज करवाने का वादीगण हकदार है। जिसके संबंध मे दावा डिकरी फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। राज्य की आरे से पैरोकारराज उपस्थित आये। तत्पश्चात् अधिवक्ता वादीगण व पैरोकारराज की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस मे वाद पत्र को स्वीकार कर कब्जे काश्त अनुसार अथवा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस खाता एवं लगान विभाजन करने की प्राथमिक डिकरी जारी करने का निवेदन किया। पैरोकार राज ने कथन किया कि मामला पक्षकारों के मध्य है जिसमे राज्य का कोई हित निहित नहीं है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया है तथा पत्रावली का आधोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली शामिल जमाबन्दी संवत 2078 ग्राम उच्छरंगदेसर खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 6 तादादी 4.3000 हैक्टेयर बारानी 2 कुल तादादी 14.7800 हैक्टेयर तथा जमाबन्दी संवत् 2078 ग्राम रोही लूनकरनसर खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर बारानी 2 भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादगत भूमि के सहखातेदार है। वादीगण ने अपने सहखातेदारी भूमि को कब्जा काश्त अनुसार खाता एवं लगान विभाजन करवाने के लिए दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश दिये गए है। रिकार्डेड खातेदारान के मध्य बंटवारा किये जाने मे कोई कानूनी अड़चन होनी प्रतीत नहीं होती है अर्थात पक्षकरान की अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त के मुताबिक विभाजन किया जावे एवं वादगत भूमि मौजा रोही उच्छरंगदेसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 4.3000 हैक्टेयर कुल तादादी 14.7800 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार मौजा रोही ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक घरेलू बंटवारा कर रख है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 5 तादादी 10.48 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 6.26 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा व खसरा नम्बर 6 तादादी 4.30 हैक्टेयर पूर्ण वादीण के कब्जे काश्त मे एवं खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 4.22 हैक्टेयर पासा दक्षिण दिशा की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जेकाश्त मे चल रही है। इसी प्रकार मौजा रोही लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर मे से 1.7600 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त मे व खसरा नम्बर 1086 की 6.1700 हैक्टेयर मे से 4.4100 हैक्टेयर भूमि पासा दक्षिण दिशा की वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। अतः वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णन अनुसार भूमि मे तहसीलदार लूनकरनसर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् प्रस्ताव मय नजरी नक्शा जिसमे सभी पक्षकारान को सूचित करते हुए उक्त भूमियों को अलग-अलग रंगों में दर्शित करते हुए तैयार कर पन्द्रह योम मे इस न्यायालय में भिजवावें ताकि पक्षकारों के मध्य अंतिम डिक्री पारित की जा सके। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिकरी बमुकदमें इब्दताई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर
ब इजलास :– श्री संजीव कुमार उपखण्ड अधिकारी

शिवकुमार वगै. बनाम अब्दुलमजीद वगैं.

दावा अन्तर्गत धारा :– 53,88,188 आर.टी.एक्ट. **मुकदमा नम्बर : 232/2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लालचन्द थोरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं :–

वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं रिकार्डेड खातेदारान के मध्य बंटवारा किये जाने मे कोई कानूनी अड़चन होनी प्रतीत नहीं होती है अर्थात पक्षकरान की अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त के मुताबिक विभाजन किया जावे एवं वादगत भूमि मौजा रोही उच्छरंगदेसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 तादादी 4.3000 हैक्टेयर कुल तादादी 14.7800 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार मौजा रोही ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक घरेलू बंटवारा कर रख है जिसके अनुसार खसरा नम्ब्र 5 तादादी 10.48 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 6.26 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा व खसरा नम्बर 6 तादादी 4.30 हैक्टेयर पूर्ण वादीगण के कब्जे काश्त मे एवं खसरा नम्बर 5 तादादी 10.4800 हैक्टेयर भूमि मे से तादादी 4.22 हैक्टेयर पासा दक्षिण दिशा की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जेकाश्त मे चल रही है। इसी प्रकार मौजा रोही लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1086 तादादी 6.1700 हैक्टेयर मे से 1.7600 हैक्टेयर पासा उत्तर दिशा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त मे व खसरा नम्बर 1086 की 6.1700 हैक्टेयर मे से 4.4100 हैक्टेयर भूमि पासा दक्षिण दिशा की वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। अतः वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं तहसीदार लूनकरनसर को उपरोक्त वादगत भूमि पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् प्रस्ताव मय नजरी नक्शा जिसमे सभी पक्षकारान को सूचित करते हुए उक्त भूमियों को अलग–अलग रंगों में दर्शित करते हुए तैयार कर पन्द्रह योम मे इस न्यायालय में भिजवावें ताकि पक्षकारों के मध्य अंतिम डिकी पारित की जा सके।

नीज ....–.........................मुबलिक.....................–.........................बाबत खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर.............. ....–...................... फीस सदी सलाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....–......................... को अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.01.2024 को डिकी जारी की गईं।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

मुदई	रूपया	नं.पै.	मुदायला	रूपया	नं.पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म		
बाबत इजराय हुक्मनामा			नामा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये लिाया गया होनहीं दर्ज किया जावे।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर